सं0– 16/बी.1– 09/2018 –

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
प्रभारी उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त होमियोपैथिक अस्पताल, पटना

/पटना, दिनांक –

विषय :– शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां–102 होम्योपैथी–000 होम्योपैथिक औषधालय, विपत्र कोड– 20–2210041020001 मांग संख्या–20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधि राशि से विभिन्न इकाईयों में राशि कुल– 19,87,200/–(उन्नीस लाख सतासी हजार दो सौ) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गतसंलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए कुल– 19,87,200/–(उन्नीस लाख सतार हजार दो सौ) रूपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या–354/वि0 दिनांक 28.0 2018, वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि0 दिनांक–04.05.2018 एवं 6903 दिनांक 13.09.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय

3. आवंटित राशि की निकासी मांग स0 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें अ चिकित्सा पद्धतियां–102 होम्योपैथी–0001 होम्योपैथिक औषधालय, विपत्र कोड–20–2210041020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग परिपत्र 868/वि0 दिनांक–10.12.2018 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. ~~इसके~~ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रभारी उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त होमियोपैथि अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चि करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक मे देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथ बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे0चि0) दिनांक 12.2.99 एवं 801 (दे0चि0) दिनांक 28.11.2002 एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा कर हुए किया जायेगा ।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों व वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. मकान किराया कर के लिए अद्यतन् भवन उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किराया दर की सत्यापि प्रति के साथ मांग पत्र भेजी जाय ताकि अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जा सके।

11. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारि का माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2018–19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथ प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही हैं ।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

25/3/2019

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं0 – 47 ब (आ. चि.)   पटना, दिनांक – 25.03.2019

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, स्वा0 के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/3/2019

सरकार के विशेष सचिव

E:\awantan\Forwarding\Forwarding 2018-19.docx

0001 होमियोपैथिक औषधालय 2018–19							
विवरणी							
क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	42540000	37803800	895500	38699300	3840700
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	7109000	6379080	600000	6979080	129920
3	मकान किराया भत्ता	01 04	2978000	2490820	200000	2690820	287180
4	परिवहन भत्ता	01 05	272000	257500	0	257500	14500
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	547000	475000	0	475000	72000
6	अन्य भत्ता	01 07	169000	95800	0	95800	73200
	योग (वेतन एवं भत्ता)		**53615000**	**47502000**	**1695500**	**49197500**	**4417500**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	700000	0	0	0	700000
8	यात्रा व्यय	11 01	120000	118000	0	118000	2000
9	कार्यालय व्यय	13 01	1430000	1429000	0	1429000	1000
10	दुरभाष	13 03	50000	40000	0	40000	10000
11	विद्युत प्रभार	13 04	210000	166000	0	166000	44000
12	विधि प्रभार	13 05	100000	0	0	0	100000
13	वर्दी/पोशाक	13 06	107000	97000	0	97000	10000
14	किराया म0 एवं कर	14 01	1065000	773300	291700	1065000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20 03	100000	0	0	0	100000
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	1530000	1530000	0	1530000	0
17	दवा भंडार	21 02	5082000	4780000	0	4780000	302000
18	आहार एवं पथ्य	21 03	500000	500000	0	500000	0
19	संविदा सेवायें	28 02	1000000	0	0	0	1000000
20	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1500000	1492500	0	1492500	7500
	योग		**67109000**	**58427800**	**1987200**	**60415000**	**6694000**

(उन्नीस लाख सतासी हजार दो सौ) रूपये मात्र।

सरकार के विशेष सचिव

47 ब (आ० चि०)
25-3-2019

E:\awantan\Excel File 2016-17 college\Budget 16-17 To 18-19\College 18-19

[illegible] होमियोपैथिक औषधालय वर्ष -2017 -18

क्र०सं०	जिला का नाम	राजकीय हो० औषधालय	वेतन	जी०या० भत्ता	म०कि० भत्ता	परि० भत्ता	चि० भ०	अन्य भ०	योग (वेतन एवं भत्ता)	चि० प्रति०	या0 व्यय	का0 व्यय	विद्युत प्रभार	[illegible] प्रभार	[illegible]	कि0म0 एवं कर	पथ्य	सामग्री पूर्तियां	दवा भंडार	अनुरक्षण एवं मरम्मत	मशीन / उपस्कर	कुल
			01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07	.	06 01	11 01	13 01	13 04	13 08	13 06	14 01		21 01	21 02	27 02	52 01	
1	नवादा	हिसुआ	745500	500000	200000	0	0	0	1445500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1445500
2	रोहतास	पुसौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291700	0	0	0	0		291700
3	सहरसा	रहरिया	150000	100000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
		कुल योग	895500	600000	200000	0	0	0	1695500	0	0	0	0	0	0	291700	0	0	0	0	0	1987200

(उन्नीस लाख सतासी हजार दो सौ) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

47 ब (आ.चि.)
25.3.2019